



क्रमांक: स्था./सैटअप/प्रहरी नियुक्ति/2018/23896

दिनांक: 20/7/18

:: स्थाई आदेश संख्या 01/2018 ::

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के पार्ट-4 के नियम 28(4)(i) के अन्तर्गत प्रहरी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में जारी स्थाई आदेश संख्या 4/2011 दिनांक 06.09.2011 के अतिक्रमण में निम्न आदेश प्रसारित किया जाता है :-

पार्ट- Iलिखित परीक्षा

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के पार्ट-4 के नियम 26 के प्रावधानानुसार प्रहरी पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा 400 अंको की होगी जिसके लिये 2 घण्टे का समय निर्धारित किया जाता है। परीक्षा तीन भागों में वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकृति की होगी। परीक्षा का विषय एवं अंक विभाजन निम्नानुसार होगा -

भाग-अ	विवेचना एवं तार्किक योग्यता	180 अंक
भाग-ब	सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक	100 अंक
भाग-स	राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि	120 अंक

प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जायेगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 36% अंक उत्तीर्णांक के रूप में निर्धारित हैं।

पार्ट- II

(A). शारीरिक माप तौल

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 18 के पार्ट -2 एवं पार्ट -2 के उप नियम (i)(ii)(iii) के प्रावधानानुसार शारीरिक माप तौल निम्नानुसार होना चाहिये -

पुरुष अभ्यर्थी	ऊँचाई	न्यूनतम 168 सेमी.
	सीना	बिना फुलाए 81 सेमी. फुलाने पर 86 सेमी.
(सीने का कम से कम फुलाव 5 सेमी.)		

महिला अभ्यर्थी	ऊँचाई	न्यूनतम 152 सेमी.
	वजन	न्यूनतम 47.5 किग्रा

नोट- उपरोक्त वर्णित मानदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 सेमी. तक की छूट देय है। गढवाली, गोरखा एवं पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की ऊँचाई 158 सेमी. से कम नहीं होनी चाहिए।

(B). शारीरिक दक्षता परीक्षा

निर्धारित शारीरिक मानदण्डों के अनुरूप पाये गये अभ्यर्थियों की राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 28 के प्रावधानानुसार शारीरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जायेगी जो निम्नानुसार होगी -

	<u>परीक्षा</u>	<u>निर्धारित समय</u>
पुरुष अभ्यर्थी	5 कि.मी. दौड़	अधिकतम 25 मिनट में
महिला अभ्यर्थी	5 कि.मी. दौड़	अधिकतम 35 मिनट में

उक्त परीक्षा हेतु एक अवसर ही देय होगा।

भूतपूर्व सैनिक शारीरिक दक्षता परीक्षा से मुक्त रहेंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाईंग नेचर (Qualifying Nature) की होगी।

22

पार्ट- III

(A) चयन सूची

चयन समिति द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयतानुसार वर्गवार चयन सूची तैयार की जायेगी। चयन समिति विज्ञापित रिक्त पदों के अधिकतम 50% की सीमा तक पात्र अभ्यर्थियों के नाम की आरक्षित सूची तैयार करेगी, जो छः माह तक के लिये वैध होगी।

(B) चिकित्सकीय परीक्षण

चयन सूची में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जायेगा। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम 18 के पार्ट-2 के नियम (iv) के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी की दृष्टि निम्नानुसार होनी चाहिये -

दृष्ट शक्ति	बिना चश्मे के		चश्मे सहित	
	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि
दूर की	6/6	6/60	6/6	6/13
निकट की	जे 5	जे 5	जे 1	जे 1

टिप्पणी-(1) निकट दृष्टि 5 डी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) मौलिक रंगों में विभेद न कर पाना और/या रस्त्र का अन्धापन (रतौंधी) यदि हो तो अनर्हता समझी जावेगी।

(3) किसी भी रूप में स्पष्ट भँगापन होने से अभ्यर्थी अनर्ह हो जायेगा।

(C) नियुक्ति

चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों से चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरवाया जाकर संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों का संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड इत्यादि से सत्यापन करवाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज व चरित्र सत्यापन सही पाये जाने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जायेगी। नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान अपात्र पाये गये अभ्यर्थी के स्थान पर नियमानुसार आरक्षित सूची में से पात्र अभ्यर्थी का चिकित्सकीय परीक्षण, चरित्र सत्यापन व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाकर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(D) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया हेतु परिशिष्ट "अ" अनुसार कार्यवाही की जायेगी।


महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:— उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया (आरक्षण 2%)

A दस्तावेज और योग्यता परीक्षण

(a) दस्तावेज परीक्षण (70 अंक) :- उत्कृष्ट खिलाड़ी के पद पर भर्ती हेतु किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात योग्य आवेदकों को योग्यता परीक्षा हेतु निर्धारित स्थान एवं समय पर आमंत्रित किया जायेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पद पर भर्ती हेतु खेल चयन बोर्ड मूल दस्तावेजों का परीक्षण करेगा, जिसमें आवेदक के खेल से संबंधित मूल दस्तावेजों की जांच की जायेगी। आवेदक के राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। राजस्थान के मूल निवासी ही उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आरक्षित पद पर भर्ती हेतु पात्र होंगे। प्रत्येक आवेदक के खेल से संबंधित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों के परीक्षण के बाद उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा, जिसके अंको का निर्धारण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	प्रमाण पत्र	अंक	
1.	भारतीय टीम का व्यक्तिगत या टीम ईवेंट के सदस्य के रूप में ओलम्पिक खेल/विश्व चैम्पियनशिप/वर्ल्ड कप/एशियन खेल/कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप/कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप या एशिया कप/सैफ खेल में प्रतिनिधित्व किया हो।	70	
2.	भारतीय टीम का व्यक्तिगत या टीम ईवेंट के सदस्य के रूप में आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल चैम्पियनशिप/एशियन स्कूल चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व किया हो।	60	
3.	राष्ट्रीय खेलों, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, ओपन नेशनल ऐथलेटिक चैम्पियनशिप, नेशनल इन्टर स्टेट सीनियर ऐथलेटिक चैम्पियनशिप एवं फ़ेडरेशन कप नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप/नेशनल क्रोस कंट्री चैम्पियनशिप/युवा नेशनल खेल/जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप/ सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत या टीम ईवेंट में पदक जीता हो।	1 st Rank	55
		2 st Rank	50
		3 st Rank	45
4.	ऑल इंडिया इन्टर यूनिवर्सिटी गेमस् (एआईयू) में पदक जीता हो।	1 st Rank	40
		2 st Rank	35
		3 st Rank	30

नोट:-

(i) सम्मिलित हुए आवेदको के प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त निम्नांकित में से किसी खेल संस्थान का होना आवश्यक है :-

- इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमेटी।
- भारतीय ओलम्पिक संघ।
- एशियन ओलम्पिक परिषद।
- कॉमनवेल्थ खेल संघ।
- संबंधित एशियन खेल संघ/विश्व खेल परिषद।
- भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ।
- भारतीय विश्वविधालय से संबंधित संघ।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल संघ के अन्तर्गत भारतीय स्कूल खेल संघ।

(ii) उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाता है कि केवल एक प्रमाण पत्र जो कि अधिकतम अंक का आधार होगा, का मूल्यांकन किया जावेगा।

(b) शारीरिक दक्षता परीक्षा :- उपरोक्त के पश्चात योग्य आवेदक की शारीरिक दक्षता परीक्षा खेल चयन बोर्ड के द्वारा स्थाई आदेश के पार्ट-II/A के अनुसार ली जावेगी।

(c) योग्यता जांच परीक्षा (30 अंक) :- जिस खेल के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है, उस खेल की योग्यता जांच परीक्षा ली जायेगी और उसे निर्धारित 30 अंकों में से अंक दिये जायेंगे। योग्यता परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जायेगी, जिसमें मुख्य खेल अधिकारी अथवा राजस्थान कारागार या एनआईएस से योग्यता प्राप्त राज्य/केन्द्र सरकार के दो प्रशिक्षक और एक संबंधित खेल से संबंधित खिलाड़ी जो राजस्थान कारागार विभाग में कार्यरत नहीं हो, सम्मिलित होगा।

(i) व्यक्तिगत प्रदर्शन :- प्रत्येक खिलाड़ी को एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होगी (यदि कोई हो तो)

समग्र मूल्यांकन की स्थिति	अंक
प्रथम	30
द्वितीय	28
तृतीय	26

am/

चतुर्थ	24
पंचम	22
षष्ठम	20
सप्तम	18
अष्टम	16

(a) उपरोक्त स्थिति के पश्चात् 8 वे स्थान के बाद प्रत्येक स्थान हेतु दो अंक कम किये जायेंगे।

(b) खेलों में प्रदर्शन का समय/दूरी/वजन/अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थी का प्रदर्शन निम्नांकित खेलों हेतु उनके सामने अंकितानुसार समय सीमा में होना चाहिए :-

क्र.सं.	नाम खेल	न्यूनतम समय सीमा
1.	100 मीटर दौड़	11.39 सैकण्ड्स
2.	200 मीटर दौड़	22.82 सैकण्ड्स
3.	400 मीटर दौड़	50.40 सैकण्ड्स
4.	800 मीटर दौड़	2.05.07 M/s
5.	1500 मीटर दौड़	4.03.37 M/s
6.	5000 मीटर दौड़	15.42.55 M/s
7.	10000 मीटर दौड़	32.17.00 M/s
8.	शार्ट पुट	14.66 मीटर
9.	लम्बी कूद	7.02. मीटर
10.	जेवलीग थ्रो	62.25 मीटर
11.	डिस्कश थ्रो	45.56 मीटर
12.	हेमर थ्रो (7.26 कि.ग्रा.)	52.20 मीटर

नोट:- यदि पर्याप्त मात्रा में विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो खेल भर्ती मण्डल चयन समिति की मदद से उन खिलाड़ियों को भी बुला सकता है जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया हो।

(ii) दल स्पर्धा:- नेशनल खेल संघ द्वारा बनाये गये मापदण्ड और नियमों के आधार पर चयन किया जायेगा।

am

अभ्यर्थी को कम से कम 15 अंक व्यक्तिगत प्रतियोगिता या सामूहिक प्रतियोगिता के रूप में लाना आवश्यक है अन्यथा उसे चयन हेतु अपात्र माना जावेगा।

B चयन सूची:- खेल भर्ती बोर्ड द्वारा श्रेणी एवं मण्डलवार वरीयता सूची तैयार की जायेगी, जो कि अभ्यर्थी द्वारा (100 अंकों में से) प्राप्त अंकों के आधार पर होगी।

अभ्यर्थी द्वारा समग्र मूल्यांकन में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त नहीं करने पर वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

C दस्तावेज सत्यापन:- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के समय आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र और राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया जायेगा।

D वरिष्ठता का निर्धारण-

(i) इस चयन प्रक्रिया से चयनित अभ्यर्थी को उसी वर्ष में सामान्य प्रक्रिया से चयनित अभ्यर्थी से कनिष्ठ माना जावेगा।

(ii) चयनित अभ्यर्थियों के मध्य वरिष्ठता का निर्धारण उनके द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण प्रक्रिया (100 में से) के प्राप्तांक के आधार पर होगी। यदि दो अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण आयु के आधार पर किया जावेगा, यदि दो अभ्यर्थी समान अंक एवं आयु के हो तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण शिक्षा के आधार पर किया जावेगा। यदि समान अंक, आयु एवं शिक्षा में प्राप्तांक समान हो तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उनके नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर होगा।

नोट:- महानिदेशक कारागार की अनुमति से मुख्य खेल अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी अवधि के लिए चयनित कार्मिक राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलों हेतु अभ्यास/तैयारी कर सकेंगे।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

20/7